



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ. 9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977

GSTIN-23AAAAU0051C1ZB



PAN No. AAAAU0051C

सुरक्षा ठेका कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उच्च कुशल/कुशल सुरक्षा कर्मी प्रदाय करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं वित्तीय रूप से सक्षम) निविदाकार इस कार्य के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा ठेकेदार की नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.06.2025 को www.mptenders.gov.in से रु.1000/- के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 09.07.2025 समय 12:00 बजे तक
3.	ई-निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.07.2025 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु. 3,00,000/- (राशि रु. तीन लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकार को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में सुरक्षा ठेका कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई-निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रु 1000/- ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् सुरक्षा ठेकेदार नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

सुरक्षा ठेकेदार की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सुरक्षा ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष कर कुल दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

सुरक्षा ठेका कार्य हेतु निविदा प्रपत्र
वर्ष 2025—28



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977



GSTIN-23AAAAU0051C1ZB

PAN No. AAAAU0051C

सुरक्षा ठेका कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक 19.06.2025 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से |
| 2 | ई-निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 09.07.2025 समय 12:00 बजे तक |
| 3 | तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान | दिनांक 10.07.2025 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में |
| 4 | निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना (ई.एम.डी.) राशि | रु. 3,00,000/- (तीन लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से |
| 5 | सुरक्षा ठेका कार्य हेतु "आवश्यक अर्हताएं" का प्रारूप | प्रपत्र 01 |
| 6 | सुरक्षा ठेका कार्य की सामान्य शर्तें | प्रपत्र 02 |
| 7 | "भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र 03 |

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरान्त ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में उज्जैन दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
- निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क अधिकारी:-

निशांत गर्ग, प्रभारी (प्रशासन)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र. 456001

फोन नं.-0734-2527068, 2527062, E-Mail ID-usdsadm@gmail.com



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था

पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977



GSTIN-23AAAAU0051C1ZB

PAN No. AAAAU0051C

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताएँ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
उज्जैन।

महोदय,

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेका कार्य हेतु दिनांक.....को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करें।
1.1	एकल स्वामित्व / भागीदारी) कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
1.2	(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) के स्थापना पंजीयन की प्रति।		तदाशय के स्थापना की प्रति व पार्टनरशिप (फर्म/कम्पनी) होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.4	निविदाकार का सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित/वैध लयसेंस क्रमांक		श्रम विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
1.5	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नम्बर		कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।
1.6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नम्बर		कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।

1.7	निविदाकार का जीएसटी नम्बर		जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
1.8	वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि रु. दो करोड़ से अधिक का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं।		तदाशय का चार्टर्ड अंकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय पत्रक, Profit & Loss A/c की प्रति एवं ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए/3 सी बी जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी।
1.9	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था में गत 03 वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 150 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किये हो जिसमें से 100 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय कर एक सिंगल अनुबंध/कार्यादेश का होना अनिवार्य हैं। (संस्था का नाम व पता जहां सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये गये हैं।)		नियोक्ता के कार्यादेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।
1.10	वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का आयकर रिटर्न दाखिल होना आवश्यक हैं।		तदाशय के आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
1.11	भविष्य निधि अंशदान शत-प्रतिशत जमा होने का प्रमाण पत्र।		वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में जमा कराए गए ई.पी. एफ. राशि के चालानों की छायाप्रति।
1.12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत-प्रतिशत जमा होने का प्रमाण पत्र		वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में जमा कराए गए ई.एस. आई. राशि के चालानों की छायाप्रति।
1.13	म.प्र. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत फर्म/संस्था का पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिये।		म.प्र. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (नवीनीकृत) संलग्न किया जावे।
1.14	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय/पुलिस थाने में दर्ज किसी आपराधिक प्रकरण के तारतम्य में सक्षम न्यायालय में पेश चालान/चार्जशीट में दोषी नहीं पाए जाने का शपथ पत्र		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु.100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का प्रारूप प्रदर्श 03 पर अवलोकन करें।
1.15	क्या निविदाकर्ता का उज्जैन शहर में कार्यालय हैं।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।
1.16	क्या आपकी संस्था उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी हैं अथवा कर रही हैं।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।

1.17	क्या आपकी संस्था एमपीसीडीएफ/इंदौर/भोपाल/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड/जबलपुर सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं हैं।		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु.100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का प्रारूप प्रदर्श 04 पर अवलोकन करें।
1.18	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।
1.19	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ./दुग्ध संघ द्वारा पूर्व के तीन वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) में काली सूची में नामांकित किया गया है।		काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु. 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का प्रारूप प्रदर्श 05 पर अवलोकन करें।
1.20	बयाना राशि (ई.एम.डी.)		निर्धारित अनुसार राशि रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) ऑनलाइन जमा करायी गयी।
1.21	म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमी एम.एस.एम.ई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।		तदाशय के एम.एस.एम.ई के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें। केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी।

- नोट :-** (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन रूप से स्कैन कर संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर _____
नाम :- _____
पता :- _____

टेलीफोन नं. _____
मोबाईल नं _____

सुरक्षा ठेका कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त :-

1. निविदाकार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र रतलाम एवं मंदसौर एवं दुग्ध शीत केन्द्रों (प्रदर्श 01) में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा समय-समय पर निर्धारित मजदूरी राशि के अनुसार भुगतान करने की शर्त के साथ निम्नलिखित श्रेणियों में प्रतिदिन सुरक्षाकर्मियों (अनुमानित) की पूर्ति सुनिश्चित करना होगी।

क्र.	सुरक्षा कर्मचारी का पद	डेयरी संयंत्र उज्जैन	डेयरी संयंत्र रतलाम	डेयरी संयंत्र मंदसौर	कुल (संख्या)
1	सुरक्षा अधिकारी	1	—	—	1
2	सुरक्षा पर्यवेक्षक	8	1	1	10
3	सुरक्षा गार्ड	25	7	5	37
4	गनमेन	2	—	—	2

सुरक्षा ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीत केन्द्रों, गोडाउन, कार्यालयीन संपत्ति एवं परिसर की दिन-रात सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता समय-समय पर संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों के संचालन एवं गतिविधि के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकेगी।

नोट :-1. सुरक्षा ठेकेदार को सुरक्षा अधिकारी एवं गनमेन को उच्च कुशल, सुरक्षा पर्यवेक्षक एवं सुरक्षा गार्ड को कुशल श्रमिक की दर से भुगतान करना होगा। जो कि श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा समय-समय पर निर्धारित मजदूरी राशि के अनुसार होगी।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त 1/6 रिलीविंग चार्जस भी देय होगा। जो कि उपस्थिति के आधार पर होगा।
- 2.1 निविदाकार द्वारा प्रतिदिन पाली में प्रबंधन की आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी शीत केन्द्र द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को यथा समय सूचना लिखित/मौखिक दी जावेगी। सुरक्षा ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षाकर्मियों की पूर्ति/आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
- 2.2 यदि सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था करने में सुरक्षा ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी।
- 2.3 सुरक्षा ठेकेदार को निम्नानुसार योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की प्रदायगी सुनिश्चित करना होगा।

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| अ. सुरक्षा अधिकारी | — | नायक सूबेदार/सूबेदार से कम रैंक न हो अथवा समकक्ष |
| ब. सुरक्षा पर्यवेक्षक | — | नायक की रैंक से कम न हो अथवा समकक्ष |
| स. सुरक्षा गार्ड | — | 1. 12वीं पास एवं |
| | | 2. एनसीसी प्रशिक्षित, आरएसएफ, जिसके पास प्रमाण पत्र एवं औद्योगिक सुरक्षा सेवा का तीन वर्ष का अनुभव हो एवं |
| | | 3. A उंचाई— 5 फीट 6 इंच न्यूनतम |
| | | B सीना— 32—34 इंच न्यूनतम |
| | | C वजन— न्यूनतम 50 किलोग्राम लंबाई के अनुपात में |
| द. गनमेन | — | गनमेन रखे जाने का लायसेंस धारी एवं पुलिस/मिलेट्री से रिटायर्ड होने पर प्राथमिकता दी जावेगी |

- कार्य पर रखे जाने वाले किसी भी सुरक्षाकर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उन सुरक्षाकर्मियों की शारिरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। उपरोक्त मापदंडों को आवश्यकता अनुसार संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
3. केवल म.प्र. राज्य के MSMEएमएसएमई उद्यमियों को ईएमडी राशि के भुगतान से छूट रहेगी इस हेतु MSME उद्यमियों को उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बीड के साथ अपलोड किया जाना होगा। अन्य राज्यों के MSME उद्यमियों को ईएमडी राशि में छूट की पात्रता नहीं होगी।
 4. बिना ईएमडी राशि के प्रस्तुत ई-निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। ईएमडी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा निविदा अस्वीकृत होने पर ई-निविदा के नियमों के तहत ईएमडी राशि वापसी योग्य होगी।
 5. सुरक्षा निधि राशि-निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार (सुरक्षा ठेकेदार) को बतौर सुरक्षा निधि राशि रु.15,00,000/- (अक्षरी पंद्रह लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पक्ष में देय होगा दुग्ध संघ में जमा करना होगा अथवा आरटीजीएस के माध्यम से दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जाएगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन सुरक्षा निधि राशि में किया जावेगा।
 6. निविदा खुलने के पश्चात एवं निविदा की दर वैधता की अवधि में निविदाकार द्वारा निविदा में संशोधन किए जाने पर जो कि दुग्ध संघ को स्वीकार नहीं हैं। ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जाएगी।
 7. सुरक्षा निधि राशि ठेका समाप्त होने के पश्चात सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र के समस्त शाखाओं, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका सुरक्षा कर्मियों का सम्पूर्ण ईपीएफ अंशदान, ईएसआई अंशदान एवं जीएसटी राशि विधिवत आदि देय राशि पूर्ण रूप से जमा होने का प्रमाण दिए जाने पर ही वापस की जावेगी।
 - 7.1 उक्त के अतिरिक्त दुग्ध संघ से लेनदारी-देनदारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को दिए जाने के पश्चात ही उसकी दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि वापसी योग्य होगी।
 8. निविदाकार के संबंध में दुग्ध संघ प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिए गए संदर्भ के परिपेक्ष्य में संबंधित निकायों/विभागों/उपक्रमों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है जो सुरक्षा ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छिपाने का प्रयास किया है तो उसका ठेका अनुबंध अवधि में किसी भी समय समाप्त किया जाएगा जो कि सफल निविदाकार (सुरक्षा ठेकेदार) पर पूर्ण रूप से बंधनकारी होगा।
 9. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत श्रमिक ठेकेदार, दुग्ध संघों/एमपीसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को सुरक्षा ठेका प्रदान नहीं किया जाएगा। एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं हैं।
 10. यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षा कर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यअवधि प्रातः 6:00 बजे से सायं 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला सुरक्षाकर्मी को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
 11. यदि किसी निविदाकार द्वारा वित्तीय बिड में शून्य प्रतिशत सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञापन क्र.29 (1) 2014-पी.पी.डी./दिनांक 28.01.2014 के अनुसार) एवं निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
 12. यदि सफल निविदाकार (सुरक्षा ठेकेदार) का मुख्यालय उज्जैन शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो सुरक्षा ठेका कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के अंदर उसे उज्जैन शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता दुग्ध संघ को देना होगा ताकि

प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सकें। अन्यथा की स्थिति में उसकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

13. प्रत्येक पाली में सुरक्षा ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को सम्पूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सकें एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सकें। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो रुपये एक हजार प्रति पाली का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाएगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किए गए कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
14. सफल निविदाकार (सुरक्षा ठेकेदार) को दुग्ध संघ प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाईम ऑफिस रिकार्ड रखने के लिए उत्तरदायी होगा साथ ही सुरक्षा ठेकेदार को मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम ऑफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पाली में प्रदाय किए जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा दुग्ध संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मांगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा। सुरक्षा ठेकेदार उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे, किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सुरक्षा ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
15. श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा समय-समय पर निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि का भुगतान लगाए गए सुरक्षाकर्मियों के मानव दिवस (Man Days) के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
16. सफल निविदाकार (सुरक्षा ठेकेदार) को कार्य हेतु दुग्ध संघ प्रबंधन संघ परिसर में उचित स्थान उपलब्ध कराएंगे। दुग्ध संघ द्वारा बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जाएगा।
17. अनुबंध अवधि में सुरक्षा ठेकेदार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्य पर नहीं ले सकेंगे। साथ ही सुरक्षाकर्मी, श्रमिक ठेका अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे।
18. निविदाकार द्वारा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
19. यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटि अथवा झूठी जानकारी दी जाती है तो उसकी निविदा अमान्य होगी एवं निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर ऐसी निविदा को अमान्य किया जाएगा।
20. अनुबंध अवधि में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियां/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा।
21. अनुबंध अवधि में यदि यह ज्ञात होता है कि सुरक्षा ठेकेदार को पूर्व में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार की सुरक्षा निधि एवं ईएमडी राशि राजसात की जाएगी।
22. किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
23. निविदा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिए जाने की स्थिति में सफल निविदाकार को एक माह की समयसीमा में कार्य प्रारंभ नहीं करने/सुरक्षा निधि राशि जमा नहीं करने/अनुबंध नहीं करने पर उसकी दुग्ध संघ में जमा ईएमडी राशि राजसात कर ली जाएगी।
24. प्रतिभागी निविदाकार, निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व दुग्ध संघ परिसर का भ्रमण कर सकते हैं।
25. दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा एमपीसीडीएफ एवं प्रदेश के सभी सहकारी दुग्ध संघों भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड/जबलपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही सफल निविदाकार (एल-1) को कार्य आदेश जारी किया जाएगा। यदि उक्त संस्थाओं द्वारा अनापत्ति

प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

- 25.1 इसी प्रकार सफल निविदाकार द्वारा किसी अन्य प्राइवेट अथवा शासकीय संस्थाओं में ठेका संचालित किया जा रहा हैं अथवा किया गया हैं तो उसे कार्यदेश प्राप्त करने के पूर्व दुग्ध संघ प्रबंधन को लिखित में जानकारी देनी होगी। दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा संबंधित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा तदुपरांत ही कार्यदेश जारी किया जाएगा। यदि उक्त संस्थाओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
26. सफल निविदाकार की अनुबंध अवधि तीन वर्षों हेतु प्रभावशील होगी। तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात कार्य संतोषप्रद होने पर एक-एक वर्ष कर कुल दो वर्षों हेतु आपसी सहमति से पूर्व में अनुमोदित दरों व अनुबंध की समान शर्तों पर अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
27. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सफल निविदाकार को दुग्ध संघ से अनुबंध पत्र का प्रारूप प्राप्त करना होगा। जिसे सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
28. अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत किसी भी वाद-विवाद के संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार उज्जैन स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।
29. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें (टाई ब्रेकिंग नियम) प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।

30. ठेके पर सुरक्षाकर्मी रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार के लिए नियम व शर्तें

- 30.1 प्रत्येक माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
- 30.2 प्रदाय किए गए सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा ठेकेदार (फर्म/संस्था) के कर्मचारी होंगे वे उज्जैन दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।
- 30.3 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध अवधि में निविदा में स्वीकृत दर के अनुसार ही रहेगी।
- 30.4 सुरक्षा ठेकेदार अनुबंध अवधि न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा, न ही निविदा को sublet कर सकेगा एवं न ही ठेके को हस्तांतरित कर सकेगा। यदि अनुबंध अवधि में किसी भी समय उक्त में से किसी भी प्रकार की शिकायत सही पाई जाती हैं तो ऐसी निविदा निरस्त कर ठेकेदार की सुरक्षा निधि राजसात कर उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जाएगा।

31. सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य संपादन हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली एवं दायित्व –

- 31.1 उज्जैन डेयरी प्लांट परिसर/संबद्ध दुग्ध शीतकेन्द्रों में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज किसी भी प्रकार की संपत्ति की चोरी न हो इसकी जवाबदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी।
- क. केन/क्रेट/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डेयरी डॉक, स्टोर या स्टोर डॉक) व्यवस्थित रूप से रखी जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं बिना गेटपास या इन्डेंट/रिटर्न स्लीप से कोई भी सामान/क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डेयरी डॉक से या स्टोर से बाहर नहीं ले जाया जाए एवं न ही अन्य प्रायोजनों में उपयोग में लाया जाए।
- ख. केन/क्रेट/ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा एजेंसी को सुचित किया जाएगा इस हेतु उन्हें अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य हैं एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी-फूटी क्रेट/ढक्कन/केन सम्मिलित किए जाएंगे।
- ग. डेयरी डॉक से केन/क्रेट/ढक्कन, डेयरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि विपणन शाखा तथा उत्पादन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे। एक रजिस्टर विपणन शाखा के कर्मचारी तथा एक रजिस्टर उत्पादन शाखा के कर्मचारी द्वारा रखा जाएगा। (क्रेट एनकाउंटर रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जाएगा।

उपरोक्त बाहर गए केन/क्रेट/ढक्कन, डेयरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किए जाएंगे। साथ ही डेयरी प्लांट में केन/क्रेट/ढक्कन की वापसी रिकार्ड विपणन एवं संयंत्र शाखा अपने रिकार्ड में रखेंगे। इन्द्राज अंकों एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होंगे। संबंधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर मय दिनांक के करेंगे।

- घ. सुरक्षा एजेंसी को कार्य आवंटन के प्रथम दिवस पर ही दुग्ध संघ/शीतकेन्द्र परिसर में उपलब्ध केन/क्रेट/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करवाकर उसका चार्ज सुरक्षा एजेंसी द्वारा लिया जाएगा तथा आवक एवं जावक का समस्त रिकार्ड सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह के अंतिम तिथी को समस्त केन/क्रेट/ढक्कन का भौतिक सत्यापन विपणन एवं संयंत्र शाखा के कर्मचारियों के समक्ष सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा जिसका मिलान, सत्यापन एवं विपणन शाखा के अभिलेखों से किया जाएगा। इसमें कमी पाए जाने पर सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं उसकी वसूली वर्तमान क्रय दरों साथ ही अर्धदण्ड राशि रु.50/-प्रति क्रेट/केन सुरक्षा एजेंसी के देयकों/सुरक्षा निधि से की जाएगी।
- 31.2 सुरक्षा कर्मियों द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने हेतु इनका समय समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा तथा प्रबंधन को तद्विषयक सूचना कार्यआदेश जारी किए जाने की दिनांक से 15 दिवस की समयसीमा में देना होगी। इसी प्रकार समय-समय पर लगाए गए प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों को उक्त प्रशिक्षण कराया गया कि सूचना 15 दिवस में प्रबंधन को देनी होगी साथ ही समय-समय पर संघ के कर्मचारियों को अग्निशमन प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी। दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्देशों के अवहेलना किए जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध आर्थिक दण्ड रु.500/-प्रति सुरक्षा कर्मी अधिरोपित किया जाएगा।
- 31.3 सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टोर एवं उसके अन्दर या बाहर रखी सामग्री को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे अन्यथा आर्थिक दण्ड दुग्ध संघ प्रबंधन के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।
- 31.4 सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाधिकृत, निषेधित एवं नशा करके कोई व्यक्ति परिसर में प्रवेश नहीं करें। सुरक्षा ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई व्यक्ति हथियार, नशीले पदार्थ, जहरीले पदार्थ व अन्य कोई अवांछित वस्तु लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करें। उल्लंघन होने पर सुरक्षा ठेकेदार पर आर्थिक दण्ड प्रति व्यक्ति रु.500/-अधिरोपित किया जाएगा।
- 31.5 सुरक्षा ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाए रखे एवं कर्मचारियों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके एवं कानूनी कार्यवाही करें। डेयरी परिसर में साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेंगे एवं दोषी व्यक्ति के बारे में प्रशासन को अवगत कराएंगे। अन्यथा आर्थिक दण्ड प्रति व्यक्ति रु.500/-अधिरोपित किया जाएगा।
- 31.6 सुरक्षा ठेकेदार दुग्ध संघ परिसर में आवारा कुत्तों, बिल्ली एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि ऐसा करने में वह विफल होता है तो दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रति प्रकरण रु.1000/-का अर्धदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित कर उससे वसूल किया जाएगा।
- 31.7 दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित चालान/गेटपास/मांग पत्र आदि से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद एवं अन्य सामग्री प्रदाय की जाती हैं इसी प्रकार दुग्ध संघ से प्राप्त भी होती हैं। उसका समुचित रिकार्ड रखा जाना होगा यह सत्यापित किए जाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी कि जो सामान, गेटपास/चालान/मांग पत्र आदि में लिखा गया है उतनी ही सामग्री जाने या आने पर कम या अधिक होने पर जवाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी इस संबंध में सुरक्षा कर्मी की गलती पाए जाने पर कम/अधिक प्राप्त सामग्री के मूल्य का पचास गुना आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाएगा। सुरक्षा ठेकेदार को दुग्ध संघ परिसर में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्ति को गेटपास जारी करना होगा तथा वाहनों की एंट्री भी अनिवार्यतः करना होगी।
- 31.8 सुरक्षा ठेकेदार दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार दूध, दुग्ध पदार्थ, केन, क्रेट, आने-जाने की प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करेंगे एवं उस रिपोर्ट को दुग्ध संघ प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

32. उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों के लिए नियम व शर्तें—

- 32.1 प्रत्येक सुरक्षाकर्मी के लिए 8 घण्टे का कार्य अनिवार्य होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षाकर्मी कार्य के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा।
- 32.2 सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगे। यदि कोई सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त करना सुरक्षा ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाए गए सुरक्षाकर्मी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जाएगा इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति सुरक्षाकर्मी रु.1000/—तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा। जिसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा संबंधित सुरक्षा कर्मचारी को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जाएगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जब्त किया जा सकेगा।
- 32.3 मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान/धुम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। सुरक्षाकर्मी द्वारा मदिरापान/धुम्रपान/गुटका/पान, तम्बाखु इत्यादि का उपयोग करते पाए जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के उपर रु.500/—प्रति सुरक्षाकर्मी प्रति प्रकरण का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा सुरक्षाकर्मी द्वारा लगातार यह कृत्य किए जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जाएगा।
- 32.4 प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।
- 32.5 संयंत्र परिसर में कोई भी सुरक्षाकर्मी टिफिन, बॉटल, बेग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा। अन्यथा रु.100/—प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जाएगा।
- 32.6 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मिनी डेयरी संयंत्र अथवा दुग्ध शीतकेन्द्र पर सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट में कार्य सुविधा एवं मांग अनुसार लगाई जाती है इसके अतिरिक्त शासकीय अवकाश एवं त्यौहार पर भी मांग के अनुसार कार्य के सूचारु संचालन हेतु सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाने होंगे। उपरोक्त अवकाश दिवस में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने पर अनुमोदित दरों पर ही भुगतान किया जाएगा।
- 32.7 अनुबंधित सुरक्षाकर्मियों के उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में प्रवेश एवं निर्गम बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होगा।
- 32.8 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में कार्य स्थल पर सुरक्षाकर्मियों को मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित है अन्यथा की स्थिति में प्रति सुरक्षाकर्मी पर राशि रु.1000/—का आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा।
- 32.9 सुरक्षाकर्मियों द्वारा सेवा से त्याग देने, सेवा से हटाए जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर सुरक्षा ठेकेदार को उक्त सुरक्षाकर्मियों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।
- 32.10 सुरक्षाकर्मियों को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत सुरक्षा ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।

33. सुरक्षाकर्मियों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधी शर्त —

- 33.1 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह की 25 तारीख के पूर्व सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करना होगा, एवं इसी माह की 05 तारीख तक गत माह किये गये कार्यों/लगाये सुरक्षाकर्मियों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखावार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रूप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा, देयकों के साथ मुख्य पत्र (क्वॉरिंग लेटर) प्रस्तुत करना जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये प्रस्तुत किया

जाता हैं तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में **(बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रदर्श 02 के अनुसार)** ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य हैं, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौतों एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौतों दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं। सुरक्षाकर्मियों के परिश्रामिक के भुगतान हेतु कोई अग्रिम संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर देयक राशि का 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे सुरक्षाकर्मियों की संख्या मय नाम, उपनाम, पिता का नाम, ईपीएफ नं., यूएएन नं., ईएसआई नं. एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।

सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता हैं, तो दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का सुरक्षाकर्मियों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता हैं (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता हैं) तो उसकी पूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

- 33.2 सुरक्षाकर्मियों का ईपीएफ, ईएसआई, सुरक्षा कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत करने की सम्पूर्ण जवाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौतों समय पर जमा करने की जवाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
- 33.3 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जाएगा।
- 33.4 सुरक्षा ठेकेदार को श्रम नियमानुसार सुरक्षाकर्मियों को सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश के ओवर टाइम का भुगतान करना होगा।
- 33.5 सुरक्षाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि सुरक्षा ठेकेदार विफल हो जाता हैं या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता हैं तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि सुरक्षा ठेकेदार की सुरक्षा निधि राशि से या देय योग्य राशि में से दुग्ध संघ सुरक्षा ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या अधिक राशि होगी तो सुरक्षा ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भांति वसूल की जाएगी।
- 33.6 यदि किसी माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो सुरक्षा ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 33.7 सुरक्षा ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में सुरक्षा ठेकेदार को सभी सुरक्षाकर्मियों को बैंक अंकाउट खोलना अनिवार्य होगा तथा सुरक्षाकर्मियों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक अंकाउट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटीपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जवाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जवाबदार नहीं होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों को बैंक खाते खुलवाकर दुग्ध संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जाएगी।

- 33.8 सुरक्षाकर्मियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षाकर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जाएगी, जिसकी एक प्रति सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।
- 33.9 सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से आयकर का कटौती लागू दरों के अनुसार किया जावेगा एवं उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर के लिए टीडीएस का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- 33.10 सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरुद्ध नियमानुसार जमा योग्य राशि जीएसटी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध संघ स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानिक समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु. 50000/-प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- 33.11 सुरक्षा ठेकेदार प्रतिमाह के देयकों का भुगतान पूर्व उसे सुरक्षा कर्मचारियों के प्रतिमाह के किए गए सैलरी के भुगतान की सैलरी स्लीप, सुरक्षा कर्मचारियों के सैलरी से ई.पी.एफ. राशि का कटौती कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा किए गए ई.पी.एफ की प्रति एवं सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिमाह ई. एस.आई की प्रति दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत ही निविदाकार के प्रतिमाह के भुगतान किया जाएगा।
- 34. कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए सुरक्षाकर्मियों के संबंध में सुरक्षा ठेकेदार के दायित्व—**
- 34.1 सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त सुरक्षाकर्मियों के परिचय पत्र सुरक्षाकर्मियों के कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में सुरक्षा ठेकेदार को अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ में उपलब्ध कराने होंगे।
- 34.2 सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त सुरक्षाकर्मियों के हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड इत्यादि फ़ैक्ट्री एक्ट के अनुसार दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना उसे अनिवार्य होगा एवं व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा व दुग्ध संघ द्वारा मांग करने के स्थिति में उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 34.3 सुरक्षा ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त सुरक्षाकर्मियों (पुरुष एवं महिला) को प्रतिवर्ष एक निश्चित रंग की दो गणवेश (शर्ट, पैंट, जूते, टोपी, बेल्ट, नाम पट्टी इत्यादि) एवं प्रोटेक्टिव गारमेन्ट्स अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि सुरक्षाकर्मियों निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो रु.100/-प्रति सुरक्षाकर्मियों प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जाएगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षा ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं किया जाता है तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति सुरक्षाकर्मियों राशि रु.1500/-के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जाएगी तथा सुरक्षा ठेकेदार द्वारा अपने समस्त सुरक्षाकर्मियों को गणवेश प्रदाय किए जाने के पश्चात ही उक्त राशि का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार को किया जा सकेगा।
- 34.4 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों का ईएसआई कार्ड बनवाकर कार्यादेश दिनांक से या नियुक्ति दिनांक से एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाए जाने पर प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों राशि रु.1000/-तक की पेनल्टी सुरक्षा ठेकेदार पर लगाई जाएगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार उज्जैन शहर से बाहर के हैं तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा उज्जैन कार्यालय का सब कोड तत्काल लेना आवश्यक होगा जिससे की सुरक्षाकर्मियों के दुर्घटना ग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ उसे प्राप्त हो सकें तथा चिकित्सा अवकाश की अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा किया जाना होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौती सुरक्षा ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित सुरक्षाकर्मियों को भुगतान किया जायेगा।
- 34.5 सुरक्षाकर्मियों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरन्तर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षा ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों की पाली नियमानुसार बदले। ऐसा नहीं पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

- 34.6 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने सुरक्षाकर्मियों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न कराये। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी सुरक्षा ठेकेदार को करना होगी।
- 34.7 सुरक्षा ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि सुरक्षा कार्य हेतु उपलब्ध कराए जा रहे सुरक्षाकर्मों (उच्च कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल) निविदा में निर्धारित किए गए आयु, शिक्षा एवं अनुभव/कौशल की अर्हताओं के अनुरूप होगा।
- 34.8 सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए प्रत्येक सुरक्षाकर्मों का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु उसे दुग्ध संघ में उपलब्ध कराया जाएगा।
- 34.9 सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए प्रत्येक सुरक्षाकर्मों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा एवं उसकी एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
- 34.10 यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है तो सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।
- 34.11 सुरक्षाकर्मियों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
- 34.12 किसी सुरक्षाकर्मों के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर सुरक्षा ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापना उपलब्ध कराना होगा।
- 34.13 सुरक्षा ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् दस दिवस की अवधि में समस्त सुरक्षाकर्मियों की जो उसके द्वारा नियोजित किए गए हैं के लिए वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कंपनी से प्रति सुरक्षाकर्मों रु.100000/- (एक लाख रुपये) की दुर्घटना समूह पालिसी लेनी होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पालिसी का सुरक्षा ठेकेदार को अनुबंध अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। अनुबंध अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरन्त कराना होगा। इस हेतु बीमा पालिसी की प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी यदि कार्य करते समय किसी सुरक्षाकर्मों का एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण व्यय सुरक्षा ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 34.14 सुरक्षा ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के सुरक्षाकर्मों देना होगा। सुरक्षाकर्मों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उसके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो। यदि कोई सुरक्षाकर्मों मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करते, अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करते पाया जाता है अथवा दुग्ध संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो सुरक्षा ठेकेदार को ऐसे सुरक्षाकर्मों को तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति, सजायाफ्ता, असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर नहीं रहें। अगर ऐसा पाया जाता है तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी सुरक्षाकर्मों द्वारा उक्त कृत्य किए जाने पर प्रति सुरक्षाकर्मों राशि रु.1000/- का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाएगा।
- 34.15 प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों की सामयिक चिकित्सा जांच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच कराना अनिवार्य होगा।) तथा तदसंबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाए गए सुरक्षाकर्मियों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एन्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को छूट तथा कोरोना की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई सुरक्षाकर्मों आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएं ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में यदि

प्रबंधन द्वारा यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसकी राशि सुरक्षा ठेकेदार से वसूली योग्य होगी तथा आर्थिक दण्ड राशि रु.5000/-प्रति सुरक्षाकर्मी भी अधिरोपित किया जाएगा।

- 34.16 सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा किसी भी कारणवश किसी भी सुरक्षाकर्मी को कार्य से पृथक किया जाता है अथवा नए सुरक्षाकर्मी रखे जाते हैं तो इसकी पूर्व सूचना एवं अनुमति सुरक्षा ठेकेदार को दुग्ध संघ से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसा नहीं करते पाए जाने पर दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरि एवं सुरक्षा ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का सुरक्षाकर्मियों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

- 34.17 सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक सुरक्षाकर्मी के नाम से ईपीएफ एवं ईएसआई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ईपीएफ/ईएसआई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ईपीएफ/ईएसआई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक सीधा भुगतान किया जा सके। सुरक्षा ठेकेदार को दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र तथा मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त शीतकेन्द्र में लगाए गए सुरक्षाकर्मियों का पृथक-पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई सुरक्षाकर्मियों के ईपीएफ/ईएसआई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौती सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छ:माही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची के सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ईपीएफ/ईएसआई अंशदान जमा करने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जाना होगी कि "इस चालान द्वारा माह.....में उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र को प्रदाय किये गये कुल..... (संख्या) सुरक्षाकर्मियों का ईपीएफ/ईएसआई अंशदान (.....प्रतिशत) राशि रु..... जमा कराया जाना है तथा किसी भी सुरक्षाकर्मी का नाम छोड़ा नहीं गया है, तथा निर्धारित राशि वास्तविक रूप से दर्शाई गई है" इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा। ईपीएफ एवं ईएसआई के कटौती का ब्यौरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेखित करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा आपको सर्विस चार्ज का ही भुगतान किया जावेगा।

- 34.18 सुरक्षा ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु. 100000/-प्रतिमाह तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किए जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संबंध में सुरक्षा ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षाकर्मियों का ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान जमा करने में विलंब होता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा।

- 34.19 सुरक्षाकर्मियों को देय ईपीएफ एवं ईएसआई की राशियों के जनरेट किए गए चालानों में राशि निर्धारित से कम पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित की गई समयसीमा में ईपीएफ/ईएसआई की कम जमा की गई राशि (ब्याज एवं डेमेज राशि सहित) के चालान जनरेट कर, दुग्ध संघ को सुरक्षाकर्मी ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कर राशि जमा कराया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर काली सूची में नाम दर्ज किया जावेगा साथ ही सुरक्षा ठेकेदार की जमा सुरक्षा निधि/लंबित देयक/देयकों

की राशि रोककर संबंधित संस्थानों को सुरक्षा ठेकेदार के ईपीएफ एवं ईएसआई का रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

- 34.20 ठेका श्रमिक (विनियम और उत्सादन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत सुरक्षा ठेकेदार के पास दुग्ध संघ में उपलब्ध कराये गये समस्त सुरक्षाकर्मियों की संख्या के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक हैं तथा सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिवर्ष उक्त पंजीयन का नवीनीकरण कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

35. शास्ति / अर्थदण्ड—

- 35.1 (I)—वाहन में परिवहन के लिए डेयरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डॉक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में “दूध एवं दुग्ध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक—सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता हैं तो अतिरिक्त प्ये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड तीनों एजेंसीस (पक्षों) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना अर्थदण्ड तीनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

- 35.2 (II)—दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात् डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिंग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद दुग्ध संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शायी गई मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसियों यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी सामान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 02 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः वितरक—सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता हैं तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों एजेंसीस (पक्ष) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

- 35.3 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्री-पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लिकेज, डेमेज वाले पैकेट्स या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीड़े/मकौड़े/बाल/कॉच का टुकड़ा आदि पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार को इसके लिये उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं

अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा, साथ ही दुग्ध संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी।

- 35.4 सुरक्षा ठेकेदार को सुरक्षाकर्मी की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबुझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा लगाया जावेगा जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं में लिप्त सुरक्षाकर्मी को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
- 35.5 सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ की सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में की जावेगी एवं संभावित चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित शाखा द्वारा अविलंब युक्ति-युक्त समय से सुरक्षा शाखा को दी जावेगी। प्रकरण में दुग्ध संघ द्वारा घटना की जांच की जावेगी तथा जांच उपरांत सुरक्षा शाखा के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित की गई हानि की राशि वसूल करने एवं ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही करने में दुग्ध संघ सक्षम होगा।
- 35.6 ठेकेदार को सौपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तों का समय-समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलंब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए व एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जायेगा। दुग्ध संघ अपने स्रोत अन्य ठेकेदार से श्रमिक को रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात् कार्य पर भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा।

क्र.	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रु.
1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत
2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत
3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत

36. ठेके पर रखे गये सुरक्षाकर्मियों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की संपत्ति का नुकसान होना—
- 36.1 सुरक्षा ठेकेदार को किसी भी सुरक्षाकर्मी को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने या दुग्ध संघ की संपत्ति का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति देना होगी। इस हेतु सम्पूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में उद्भुत विधिक मामलों में भी दुग्ध संघ का दायित्व नहीं होगा।
37. सुरक्षा ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
38. सुरक्षा ठेकेदार के अधीनस्थ सुरक्षाकर्मियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एवं कारखाना अधिनियम 1948 के समस्त प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़. उज्जैन म.प्र. 456010

उपरोक्त समस्त शर्ते मैने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए भाव दरे प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम

.....

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता

.....

.....

दूरभाष / मो.नं

.....

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
“भाव पत्र/दर”

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :-

क्र.	विवरण		
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)		
	क्र.	सुरक्षाकर्मी का विवरण	छर
	1	सुरक्षा अधिकारी	उच्च कुशल श्रेणी
	2	गनमैन	
	3	सुरक्षा पर्यवेक्षक	कुशल श्रेणी
	4	सुरक्षा गार्ड	
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस		
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि		
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान		
5	वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रु.100000/-प्रति सुरक्षाकर्मी)		
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान		

नोट:-

1	श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को संयंत्र में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
2	“अ” मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति सुरक्षाकर्मियों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) निम्नलिखित मदों में अंशदान राशि जमा कराने का प्रावधान निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	जी.एस.टी. अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें, जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा—(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें। यदि किसी निविदाकार द्वारा ऑफलाइन भाव दर प्रस्तुत की जाती हैं, तो उस निविदाकार को निविदा हेतु अपात्र माना जावेगा)

क्र.	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

नोट :- 0% (शून्य प्रतिशत) भरने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :- नाम

दिनांक :- पत्राचार हेतु पता

दूरभाष/मो.नं

कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

(अ) मुख्य डेयरी संयंत्र, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

(ब) मिनी दुग्ध संयंत्र की सूची :-

1. रतलाम दुग्ध संयंत्र
2. मंदसौर दुग्ध संयंत्र

(स) दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची :-

1. शाजापुर
2. आगर
3. शामगढ़
4. मनासा

नोट:- संघ द्वारा यदि कोई नवीन दुग्ध शीत केन्द्र/मिनी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की जाती हैं, तो वह भी सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़. उज्जैन म.प्र. 456010

कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

सुरक्षाकर्मियों को मजदूरी भुगतान शर्त क्रमांक-31 के अंतर्गत उपकंडिका क्रमांक 31.1 के अनुसार

सुरक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान पत्रक, माह.....वर्ष.....

क्र.	सुरक्षाकर्मी का नाम	आधार कार्ड का नम्बर	ई.पी.एफ. खाता नम्बर	ई.एस.आई. खाता नम्बर	मस्टररोल के आधार पर माह में सत्यापित कार्य दिवस	प्रतिदिन भुगतान की दर
1	2	3	4	5	6	7

कुल मासिक वेतन	कर्मचारी के ई.पी. एफ. अंशदान की राशि	कर्मचारी के ई. एस.आई. अंशदान की राशि	अन्य कटौती	कुल कटौती की राशि	बैंक खाता नम्बर व बैंक का नाम	कुल कटौती के उपरांत शेष कुल वेतन
8	9	10	11	12	13	14

कुल..... राशि सुरक्षाकर्मी के वेतन बैंक खातों में भुगतान करने का कष्ट कर बिलों/अग्रिम से समायोजित करें।

हस्ताक्षर
सील/मुद्रा
दिनांक-.....

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु निवासी
 यह कि मेरे/हमारे द्वारा सुरक्षा ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म..... जिसका मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय/पुलिस थाने में दर्ज किसी आपराधिक प्रकरण के तारतम्य में सक्षम न्यायालय में पेश चालान/चार्जशीट में दोषी नहीं पाया गया है एवं न ही कोई प्रकरण/वाद दर्ज एवं विचाराधीन है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
नाम—

1. गवाह

नाम:—

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:—

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु निवासी
 यह कि मेरे/हमारे द्वारा सुरक्षा ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म..... जिसका मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध एम.पी.सी.डी. एफ./इंदौर/भोपाल/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड/जबलपुर सहकारी दुग्ध संघों में ई. पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं हैं।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
नाम—

1. गवाह
 नाम:—
 पता:—
 आधारकार्ड नं.
 मोबाइल नं.....
2. गवाह
 नाम:—
 पता:—
 आधारकार्ड नं.
 मोबाइल नं.....

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु निवासी
 यह कि मेरे/हमारे द्वारा सुरक्षा ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की
 गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे
 संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म..... जिसका मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ.
 /दुग्ध संघ द्वारा वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) में काली सूची
 में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
 नाम—

1. गवाह
 नाम:—.....
 पता:—
 आधारकार्ड नं.
 मोबाइल नं.....
2. गवाह
 नाम:—.....
 पता:—
 आधारकार्ड नं.
 मोबाइल नं.....

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01
 से 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी
 छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता